फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाजी जाति कलबी निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट**

मुकदमा नं. 41 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.12.2021	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना अनादरा जिला सिरोही के सी. आर. नं. 176 दिनांक 23.11.2021 में उपाधीक्षक पुलिस वृत रेवदर द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का महिन्द्रा पिकअप नम्बर आरजे 16 जीए 4671 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 08.12.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 23.11.2021 को श्री नरेन्द्रसिंह उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत रेवदर द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 23.11.2021 को 05.25 पीएम पर पुलिस थाना अनादरा पर धारा 207 एमवी एक्ट में श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाजी जाति कलबी निवासी जैन मन्दिर गली कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही से जब्तशुदा थाना परिसर में खडी पिकअप नम्बर आरजे 16 जीए 4671 जिसमें आसमानी रंग के कुल 07 ड्रम जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिस पर मौके पर श्री कमल कुमार पंवार प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय सिरोही व श्री मोहित पटेल सैल्स ऑफिसर सिरोही इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपस्थित हुए। मन् वृत्ताधिकारी नरेन्द्रसिंह की मौजूदगी में उक्त पिकअप नं. आरजे 16 जीए 4671 को चैक किया गया तो उक्त वाहन के पिछली बॉडी के अन्दर भरे आसमानी रंग के प्लॉस्टिक के कुल 07 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया। उक्त वाहन पिकअप में रखे ड्रमों में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का गणितीय हिसाब से माप करने पर	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रत्येक ड्रम में 215 लीटर के हिसाब से कुल 1505 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त पेट्रोलियम के परिवहन के बारे में चालक श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाजी से अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को गुजरात की तरफ से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए पिण्डवाडा की ओर ले जाना बताया। श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाजी द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्लंघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवडा व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री वेलाजी जाति कलबी निवासी जैन मन्दिर गली कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है एवं वाहन के थाने में पडे रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973-Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the [illegible] of furnishing a personal bond of Rs 5[illegible]0 w[illegible] one surety.**

अतः वाहन का प्रार्थी ए[illegible]त्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस रेवदर द्वारा थाना अनादरा के मुकदमा संख्या 176 दिनांक 23.11.2021 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में महिन्द्रा पिकअप नम्बर आरजे 16 जीए 4671 में पेट्रोलियम पदार्थ कुल 1505 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा के एफ आई आर क्रमांक 176 दिनांक 23.11.2021 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा महिन्द्रा पिकअप संख्या आरजे 16 जीए 4671 में 1505 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ चोरी करते हुये पाये जाने पर पेट्रोलियम पदार्थ व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसन्धान जारी है। वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered [illegible] in petrolieum products No useful purpose would be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 04,00,000/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते है।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner